भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1666
01 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

मांस आयात और निर्यात

1666. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से 24 तक गोमांस सहित मांस के आयात ओर निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की मांस निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई योजना अथवा पहल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विरोध और भीड़ के हमलों जैसी प्रचलित समाजिक घटनाओं के कारण मांस के आयात और निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): वर्ष 2014 से 2023 तक गोमांस सहित मांस के आयात और निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है:

एचएस कोड (02) - मांस और खाद्य मांस ऑफ़ल् (मिलियन यू एस डॉलर में)		
वर्ष	**आयात**	**निर्यात**
2014	2.95	5075.62
2015	2.29	4341.05
2016	2.49	3971.56
2017	4.50	4309.50
2018	4.42	3744.64
2019	5.65	3450.63
2020	2.10	3106.05
2021	3.56	3384.03
2022	5.33	3251.88
2023	6.82	3647.57

स्रोत: आईटीसी (अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र) व्यापार मानचित्र

(ख) और (ग): कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को मांस एवं मांस उत्पादों सहित इसके अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन एवं विकास की जिम्मेदारी अधिदेशित गई है। एपीडा द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. एपीडा अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका उद्देश्य घटकों के तहत मांस और मांस उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाना है:

क. निर्यात अवसंरचना का विकास

ख. गुणवत्ता विकास और

ग. बाजार विकास

ii. मांस उत्पादों सहित विभिन्न कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा दुनिया भर में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में अपनी भागीदारी का आयोजन करता है, जिसमें एपीडा के सदस्य निर्यातक मांस और मांस उत्पादों सहित भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए भाग लेते हैं।

iii. एपीडा रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक और क्रेता-विक्रेता बैठक का भी आयोजन करता है, जिसमें संभावित आयातक देशों के क्रेताओं को मांस और मांस उत्पादों सहित एपीडा अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है।

iv. एपीडा भारतीय मांस प्रतिष्ठानों के लंबित आवेदनों के अनुमोदन के लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस, ओमान, वियतनाम, उज्बेकिस्तान आदि जैसे भारतीय मिशनों के माध्यम से आयातक देशों के साथ संपर्क करता है और मांस तथा मांस उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आयातक देशों के साथ बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाने के लिए संबंधित भारतीय मिशन, वाणिज्य विभाग का क्षेत्रीय प्रभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) के क्षेत्रीय के साथ भी संपर्क करता है।

v. मूल्य वर्धित मांस एवं मांस उत्पादों की क्षमता का दोहन करने के लिए, एपीडा अपने निर्यातकों को मांस आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात व्यापार के लिए प्रेरित करता है।

(घ) एवं (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

*****